

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(17)वित्त/आब/2023

जयपुर, दिनांक: 21/04/2025

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 के नियम 11 के अधीन गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान आबकारी सेवा में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारी को जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान)(Level-15 in pay matrix) की रिक्तियों में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदोन्नति वर्ष
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा(एस.टी.)	2023-24

श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा की जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान) के पद पर वरिष्ठता का निर्धारण श्री देवेन्द्र गिरी(पदोन्नति वर्ष 2023-24) के नाम के नीचे एवं श्रीमती रश्मि जैन (पदोन्नति वर्ष 2024-25) के नाम के ऊपर किया जाता है।

पदोन्नत राजसेवक पदोन्नति पर अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे तथा कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

आज्ञा से,

Wajahat

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित अधिकारीगण।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

Wajahat

संयुक्त शासन सचिव